उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-13 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
13-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी नगर निगम द्वारा वेस्ट सोल्यूशंस प्रा०लि० कम्पनी के साथ डोर टू डोर कूड़ा उठान, मेकेनाईज्ड रोड स्विपिंग व मेकेनाईज्ड सार्वजनिक टॉयलेट क्लीनिंग आदि के लिए हुए कन्शेसन एग्रीमेंट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के लिए इस कम्पनी द्वारा कराए गये कार्यो के सापेक्ष नगर निगम द्वारा किए गये भुगतान का ऑडिट कराया गया है ?	नगर निगम, वाराणसी में त्रिस्तरीय सम्परीक्षा व्यवस्था संचालित है। **<u>वाह्य सम्परीक्षा</u>** 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज। 2- स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा विभाग, उ०प्र० । **<u>आन्तरिक सम्परीक्षा</u>** 3- मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा। महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन से संबंधित फर्म के संबंध में ऑडिट किया जा चुका है। महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा पत्र दिनांक 15-05-2023 के माध्यम से ऑडिट आपत्ति उपलब्ध करायी गयी है, जो नगर निगम, वाराणसी को दिनांक 10.07.2023 को प्राप्त हुई है। स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा विभाग की वर्ष 2021-22 आडिट रिपोर्ट अप्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की ऑडिट का कार्य स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा विभाग द्वाराकिया जा रहा है। महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा ऑडिट किये जाने की तिथि अप्राप्त है। आन्तरिक स्तर पर मुख्य नगर लेखा परीक्षक विभाग द्वारा प्रत्येक भुगतान उपरान्त ऑडिट किया जाता है, जो अद्यतन माह जुलाई-2023 तक पूर्ण है।
(ख) यदि हॉ, तो उक्त ऑडिट रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखेंगे ?	महालेखाकार उ०प्र०, प्रयागराज की वर्ष 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त है, जो संलग्न है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

ए.के. शर्मा
मंत्री
नगर विकास विभाग।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उ. प्र. प्रयागराज

पत्रांक : ए.एम.जी.-I/सम्पादन-II/प्रतिवेदन सं.-16/2023-24/ /122

दिनांक: 15/05/2023

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, वाराणसी
जनपद- वाराणसी

नगर आयुक्त कार्यालय
संख्या 15315
दिनांक 16.05.23
नगर निगम वाराणसी

AO
19/07/2023

166

विषय: लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं.-16/2023-24, दिनांक - 01/03/2023 से 13/04/2023 तक सम्पादित किये गए आपके कार्यालय की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय ,

लेखा परीक्षा निरीक्षण की प्रति में कुल 33(भाग 2 "अ"-14, भाग 2 "ब"-19) प्रस्तर हैं, जिनमें से प्रस्तर दो "अ" संख्या 01-14 ऑडिट आपत्तियाँ प्रमुख हैं जिनकी कालांतर में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट में सम्मिलित होने की संभावना है। इन प्रमुख आपत्तियों को प्रतिवेदन के भाग दो, खंड अ में शामिल किया गया है एवं इसकी प्रति प्रमुख सचिव,नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को भेजी जा रही है। अन्य आपत्तियां प्रतिवेदन के भाग दो खंड "ब" में सम्मिलित हैं।

खंड "अ" में सम्मिलित ऑडिट आपत्तियां के निस्तारण के लिए आपके उत्तर पर शासन की टिप्पणी आवश्यक होगी जिसे दो माह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करें। खंड "ब" में सम्मिलित ऑडिट आपत्तियों पर अपने उत्तर पर उच्चाधिकारियों की टिप्पणी सहित एक माह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करें।

भवदीय ,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/
ए.एम.जी.-I/सम्पादन-II

प्रतिलिपि : ए.एम.जी.-I/सम्पादन-II/प्रतिवेदन सं.-16/2023-24/

दिनांक: / /2023

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0, सेक्टर- 7 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, लें0 प0, उ0 प्र0, 6वा तल, संगम पैलेस प्रयागराज।
3. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/
ए.एम.जी.-I/सम्पादन-II

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

NSA

भाग-II अ

प्रस्तर-1- त्रुटिपूर्ण अनुबंध के गठन, एवं कंसेशनायर पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने के कारण यूजर चार्जेज के रूप में हानि रु. 959.18 लाख।

Sh. M P Srivastava
Sr. AO
AMD-393-396
KD.

ठोस अपशिस्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रस्तर 4.3 में अपशिस्ट उत्पन्नकर्तायो के कर्तव्य के सम्बन्ध में यह में प्राविधान किया गया है कि "सभी अपशिस्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकाय की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया जाय। इसी प्रकार प्रस्तर 15.(च.) में स्थानीय निकायों के कर्तव्य एवं उतरदायित्व का निर्धारण करते हुए प्राविधान किया गया है कि "उपयोक्ता फीस, जो समुचित समझी जाय, समय-समय पर विहित करना और स्वयं या प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिस्ट उत्पन्नकर्तायो से फीस का संग्रह करना।" प्रस्तर 15. (य. छ.) में स्थानीय निकायों के कर्तव्य एवं उतरदायित्व का निर्धारण करते हुए प्राविधान किया गया है कि "सूचना, शिक्षण और संचार अभियान के माध्यम से लोक जागरूकता का सृजन करना और ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वालो को जानकारी देगा कि अपशिष्ट एकत्र करने वालों या स्थानीय निकायों या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मासिक उपयोक्ता फीस या प्रभार का संदाय करना।"

इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या 3771/नौ-5-2014-381स/2008 दिनांक 16 जून 2014 द्वारा भी समस्त नगर आयुक्त को यूजर चार्जेज के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिए गए है:-

(1) अधिसूचित दरों के आधार पर कम से कम प्रथम तीन वर्ष तक सम्बन्धित नगर स्थानीय निकाय द्वारा ही यूजर चार्जेज को संग्रहित किये जाने का बिल निर्गत किया जायेगा।

(2) निर्गत किये गए बिल के अनुसार वसूली की कार्यवाही निजी आपरेटर द्वारा की जायेगी तथा वसूली की कार्यवाही में सम्बंधित नगर स्थानीय निकाय द्वारा निजी आपरेटर को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(3) यूजर चार्जेज न देने वाले उपभोक्तायो के विरुद्ध सम्बंधित नगर स्थानीय निकाय द्वारा तत्सम्बंध में सुसंगत नियमों के अनुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

नगर निगम द्वारा दिनांक 06/08/2019 को नगर निगम क्षेत्र में स्थित घरो एवं प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में "Door to Door collection of Municipal Solid Waste, Mechanized Road Sweeping and Toilets Cleaning" के लिए मैसर्स वाराणसी वेस्ट सलूशन के साथ अनुबंध गठित किया गया है। इस अनुबंध के पृष्ठ संख्या 26 पर USER CHARGES COLLECTION के लिए प्राविधान किया गया है। जिसके अनुसार कांसेशनायर को समस्त घरों एवं व्यवसायिक

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

प्रतिष्ठानों से यूजर चार्जेज संग्रहित करने का भी कार्य करना था। चयनित फर्म द्वारा माह अक्टूबर 2020 से कार्य प्रारम्भ किया था। अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 तक कुल 41,03,357 घरों से एवं 275737 डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन किया गया।

नगर निगम वाराणसी के आदेश संख्या 470/कम्प-न.आ./2019-20 दिनांक 12/08/2019 द्वारा नगर निगम क्षेत्र में स्थित भवन, दुकाने, होटल आदि से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के सापेक्ष यूजर चार्जेज के सम्बन्ध में दरें निर्धारित की गयी थी। नगर निगम द्वारा जारी यूजर चार्जेज की दरों के अनुसार घरो एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से यूजर चार्जेज की न्यूनतम दरें क्रमशः रु.20 प्रति घर/प्रति माह एवं रु.60 प्रति प्रतिष्ठान/प्रति माह निर्धारित की गयी है। इस कार्य के लिए अनुबंधित फर्म द्वारा माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 तक कुल 41,03,357 घरों से एवं 275737 डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य किया जिसका माहवार विवरण संलग्नक में दिया गया है। नगर निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम यूजर चार्जेस दर के आधार पर इस अवधि माय न्यूनतम यूजर चार्जेज निम्न प्रकार प्राप्त होना चाहिए था:-

	माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 तक	यूजर चार्जेस की न्यूनतम निर्धारित दर	कुल प्राप्त होने वाला यूजर चार्ज
घरो की संख्या	41,03,357	रु.20/घर/माह	रु. 8,20,67,140
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या	2,75,737	रु.60/घर/माह	रु. 1,65,44,220
माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 तक कुल प्राप्त होने वाला यूजर चार्जेज			रु. 9,86,11,360

इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से मार्च 2022 तक यूजर चार्ज के रूप में कुल रु.9,86,11,360 नगर निगम को प्राप्त होना चाहिए था।

अनुबंध में यह भी प्राविधानित था कि यूजर चार्जेज के सम्बन्ध में एक ESCROW ACCOUNT भी खोला जाना था, किन्तु नगर निगम द्वारा वर्ष 2021-22 तक यह खाता खोला ही नहीं गया। नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 01/11/2021 में यूजर चार्जेज के सम्बन्ध में कोटक महिंद्रा बैंक में खाता संख्या 3746221388 खोला गया था। इस खाते में दिनांक 01/11/2021 से दिनांक 31/03/2022 तक मात्र रु.26,93,739 ही यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त हुआ। जबकि इस अवधि में न्यूनतम रु. 9,86,11,360 की धनराशि यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त होनी चाहिए थी। इस प्रकार अनुबंध गठन से मार्च 2022 तक कम यूजर चार्ज प्राप्त होने के कारण नगर निगम को रु.9,59,17,621 (रु. 9,86,11,360 - रु.26,93,739) की हानि उठानी पड़ी।

अंतगर जाँच में पाया गया कि अनुबंध में कन्सेशनायर को यूजर चार्जेज वसूल करने का प्राविधान तो किया गया था किन्तु इस अनुबंध में कनसेसनायर द्वारा यूजर चार्जेज नहीं वसूल

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

करने/उचित ढंग से वसूल नहीं करने पर कोई दण्ड का प्राविधान नहीं किया गया है। अनुबंध में किसी दण्ड/कटौती का प्राविधान नहीं होने के कारण कनसेसनायर ने नगर निगम के निवासियों से यूजर चार्जेज की वसूली में गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं किया जिसका परिणाम यह हुआ कि नगर निगम को यूजर चार्जेज के रूप में रु. 959.18 लाख की हानि उठानी पड़ी।

यह भी उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा यूजर चार्जेज की वसूली हेतु रसीद बुक तो कनसेसनायर को उपलब्ध करायी जाती है, किन्तु कनसेसनायर से प्रयुक्त रसीद बुक वापस नहीं ली जा रही है। इसके साथ ही नगर निगम के पास कोई प्रणाली नहीं थी जिससे नगर निगम यह ज्ञात कर सके कि क्या कनसेसनायर एवं उसके कर्मचारियों द्वारा यूजर चार्जेज वसूल करने वाले उपभोक्तायों को रसीद निर्गत की जा रही है अथवा नहीं, तथा कनसेसनायर द्वारा डुप्लीकेट रसीद बुक का प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। कनसेसनायर द्वारा अपने बिल के साथ यूजर चार्जेज नहीं देने वाले उपभोक्तायों की सूची भी नगर निगम को उपलब्ध करायी जा रही है, किन्तु नगर निगम किसी भी माह इस सूची में अंकित किसी भी उपभोक्ता से कोई सत्यापन का कार्य नहीं किया कि वास्तव में उनके द्वारा यूजर चार्जेज दिया गया है अथवा नहीं। इसके साथ ही यूजर चार्जेज नहीं देने वाले किसी भी उपभोक्ता पर कोई दण्ड भी नहीं लगाया गया।

इस प्रकार स्पस्ट है एक ओर तो अनुबंध में यूजर चार्जेज वसूल नहीं करने पर कनसेसनायर के विरुद्ध कोई दण्ड का प्राविधान नहीं किया दूसरी तरफ यूजर चार्जेज नहीं देने वाले उपभोक्तायो का सत्यापन अथवा उन पर कोई दण्ड लगाने का भी कोई प्रयास नगर निगम द्वारा नहीं किया गया। अतः स्पस्ट है इस हानि के नगर निगम की उदासीनता ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा उत्तर में बताया गया कि अनुबंध का अन्तिमिकरण का कार्य शासन स्तर से किया गया है।

नगर निगम का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस अनुबंध के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP), प्री-बिड मीटिंग से लेकर अनुबंध गठन तक सभी स्तर पर नगर निगम के नगर आयुक्त भी निविदा कमेटी में शामिल थे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण अनुबंध के गठन, एवं कंसेशनायर पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने के कारण यूजर चार्जेज के रूप में रु.959.18 लाख की हानि उठानी पड़ी।

प्रकरण प्रकाश में लाया जा रहा है।

संलग्नक

मैसर्स वाराणसी वेस्ट सलूशन द्वारा माहवार डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का विवरण

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

माह	घरों की संख्या	व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या
अक्टूबर	38224	4909
नवम्बर	37423	2910
दिसम्बर	37081	3513
जनवरी	40705	4587
फरवरी	50247	4325
मार्च	125624	6010
अप्रैल	0	0
मई	287836	10767
जून	320814	18000
जुलाई	349811	19052
अगस्त	350705	19137
सितम्बर	351752	21600
अक्टूबर	351963	24750
नवम्बर	352070	24800
दिसम्बर	352116	24750
जनवरी	352151	28950
फ़रवरी	352147	28673
मार्च	352688	29004
योग	**4103357**	**275737**

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

NSA

भाग-II ब

प्रस्तर-2- सर्व न्यून दरें देनी वाली फर्म के स्थान सर्वाधिक दरें देनी वाली फर्म का चयन कर कार्य करने से हानि रु. 309.24 लाख।

Sh. M.P. Srivastava
Sr. AO
AMP-405-410
KD:

बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 (III) के अनुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी द्वारा शासकीय धन के व्यय में वही सावधानी बरती जानी चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति द्वारा अपने धन के व्यय करने बरतता है।

नगर निगम द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन घरों से, डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन व्यावसायिक प्रतिष्ठानो से, MECHANIZED TOILET CLENAING, C & D WASTE COLLECTION & TRANSPORTATION एवं MECHANIZED ROAD SWEEPING कार्य के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोसल (RFP) दिनांक 06/08/19 को आमत्रित की गयी थी। इस RFP द्वारा कार्य के पांच मदों के लिए दरें आमत्रित की गयी थी। दिनांक 07/02/20 को वित्तीय बिड खोले जाने के बाद इस निविदा की एक मद MECHANIZED TOILET CLENAING की दरें रु.4244 मैसर्स वी वी जी इंडिया लि. (L-1), रु.4995 मैसर्स चेन्नई एम एस डब्ल्यू प्र. लि. (L-2) एवं वृ. 14809 मैसर्स ए जी एन्विरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्र. लि. (L-3 या H-1) थी। इस प्रकार स्पस्ट है की सर्व न्यून दरें (L-1) मैसर्स बी वी जी इंडिया लिमिटेड की थी। उन्होंने रु.4244 प्रति टॉयलेट की दरें थी। किन्तु निविदा कमेटी द्वारा पांच मदों के दरों को के आधार पर मैसर्स मैसर्स ए जी एन्विरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्र. लि. की निविदा को अंतिम किया गया। मैसर्स मैसर्स ए जी एन्विरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्र. लि. द्वारा MECHANIZED TOILET CLENAING के लिए रु.14,809 की दरें दिन गयीं थी। यह दरें L-1 की दरें से रु.10,565 अधिक थी जो L-1 से 249%अधिक एवं L-2 फर्म की दर से 196% अधिक थी।

इस स्थिति में निविदा कमेटी को नगर निगम हित में MECHANIZED TOILET CLENAING का कार्य L-1 दरें देने वाली फर्म मैसर्स बी वी जी इंडिया लिमिटेड को दिया जाना था या अन्य मदों में सर्व न्यून दरें देनी वाली फर्म से निगोसिएशन द्वारा दरें कम करने का प्रयास करना चाहिए था। किन्तु निविदा कमेटी द्वारा बिना किसी नेगोसिएशन के ही MECHANIZED TOILET CLENAING का कार्य भी सबसे अधिक दर देनी वाली फर्म मैसर्स मैसर्स ए जी एन्विरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्र. लि. (SPV फर्म वाराणसी वेस्ट सलूशन) को आवंटित कर दिया।

मैसर्स ए जी एन्विरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्र. लि. द्वारा माह अक्टूबर 2020 से फ़रवरी 2023 तक निम्न विवरण के अनुसार MECHANIZED TOILET CLENAING का कार्य कराया गया:-

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

माह	MECHANIZED TOILET CLENAING की संख्या
अक्टूबर 20	41
नवम्बर 20	43
दिसम्बर 20	47
जनवरी 21	45
फरवरी 21	45
मार्च 21	50
अप्रैल 21	47
मई 21	54
जून 21	53
जुलाई 21	54
अगस्त 21	55
सितम्बर21	65
अक्टूबर 21	63
नवम्बर 21	100
दिसम्बर 21	125
जनवरी 22	155
फरवरी 22	151
मार्च 22	141
अप्रैल 22	152
मई 22	153
जून 22	153
जुलाई 22	156
अगस्त 22	130
सितम्बर 22	137
अक्टूबर 22	144
नवम्बर 22	138
दिसम्बर 22	154
जनवरी 23	138
फरवरी 23	138
	2927

इस अवधि में कुल 2927 शौचालयों के MECHANIZED TOILET CLENAING कार्य पर रु.14,809 प्रति टॉयलेट की दर से कुल रु.4,33,45,943 का भुगतान किया गया। यदि इस कार्य हेतु यदि L-1 फर्म को कार्य आवंटित किया जाता तो रु.4244 प्रति टॉयलेट की दरें से मात्र रु.1,24,22,188 का व्यय होता। किन्तु नगर निगम द्वारा इस कार्य हेतु L-1 फर्म मैसर्स बी वी जी इंडिया लिमिटेड को कार्य आवंटित नहीं करने के कारण रु.3,09,23,755 की हानि उठानी पड़ी।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, [illegible]

अग्रेतर जाँच में यह भी पाया गया कि जिन पांच मदों के लिए यह टेंडर आमंत्रित किया गया था, उसमे से एक मद (C & D WASTE COLLECTION & TRANSPORTATION) का कार्य हेतु कार्यादेश चयनित फर्म को नहीं दिया गया क्योकि इसके लिए वर्ष 2016-17 से एक दूसरी फर्म पहले से ही कार्यरत थी। जब निविदा स्वीकृत के समय टेंडर मदों से एक मद को अलग किया जा सकता था तो फिर एक दूसरी मद (MECHANIZED TOILET CLENAING) का कार्य भी सर्व न्यून दरें देने वाली फर्म को दिया जा सकता था। किन्तु निविदा कमेटी द्वारा अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण नगर निगम को रु. 309.24 लाख की हानि उठानी पड़ी।

इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा उत्तर में बताया गया कि निविदा शासन स्तर से फाइनल किया गया है। अतः समस्त निर्णय शासन स्तर से लिए गए है।

नगर निगम का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योकि इस अनुबंध के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP), प्री-बिड मीटिंग से लेकर अनुबंध गठन तक सभी स्तर पर नगर निगम के अधिकारी एवं नगर आयुक्त भी निविदा कमेटी में शामिल थे।

प्रकरण प्रकाश में लाया जा रहा है।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

योगदान- श्री
एम पी
श्रीवास्तव
व हे प अधि
AMP-265-
274
KD:

भाग-II.ब

प्रस्तर-1- कू: गर्मों के लिए न्यूनतम रु.210 करोड़ के कार्य के लिए गठित अनुबंध की निविदा प्रक्रिया में विभिन्न अनियमितताएं/त्रुटियाँ।

GENERAL FINANCIAL RULES 2017,Ministry of Finance, Department of Expenditure के चैप्टर OUTSOURCING OF SERVICES में QUOLITY & COST BASED SELECTION (QCBS) के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान किये गए है -

Rule 192 "QCBS may be used for procurement of consultancy service where quality of consultancy is of prime concern.

(i) In QCBS initially the quality of technical proposals is scored as per criteria as advanced in the RFP. Only those responsive proposals that have achieved at least minimum specified qualifying score in quality of technical proposal are considered further.
(ii) After opening and scoring, the Financial proposals of responsive technically qualified bidders, a final combined score is arrived at by giving predefined relative weight ages for the score of quality of the technical proposal and the score of financial proposal.
(iii) The RFP shall specify the minimum qualifying score for the quality of technical proposal and also the relative weight ages to be given to the quality and cost (determined for each case depending on the relative importance of quality vis-a-vis cost aspects in the assignment, e.g. 70:30, 60:40, 50:50 etc). The proposal with the highest weighted combined score (quality and cost) shall be selected.
(iv) The weight age of the technical parameters i.e. non- financial parameters in no case should exceed 80 percent.

वाराणसी नगर निगम द्वारा GFR के उपरोक्त प्राविधानो के अनुसार Door to Door Collection & Transposition of Municipal Solid Waste Service and other service के लिए QCBS प्रणाली पर FRP आमंत्रित की गयी थी। RPF की प्राविधानों के अनुसार तकनिकी बिड को 30% एवं वित्तीय बिड को 70% वेटेज दिया जाना था।
तकनिकी बिड में कुल प्राप्तांक 1000 पॉइंट थे जिसका विभाजन निम्न प्रकार था;

1. Project Team Experience and Capability Total 400 points

1. A.	Project team Experience and Capability in collection and transportation of MSW	250 Points
1. B.	Project team Experience and Capability in mechanical sweeping, toilets cleaning with deployment of mechanical equipment's and Ghat cleaning	150 Points

2. Operational Details and scoring of technical submissions. Total 500 points

2 A.	Vehicles for MSW and C & D Waste	125 points
2 B.	Vehicles for Mechanical Sweeping of roads	100 points
2 C.	Operational details - work plan	175 points
2 D	Operational details – proponent's facilities	50 points

3. Proposal Quality **Total 100 points**

3 A.	Clarity in scope of work	50 points
3 B	Understanding the City's requirements	50 points

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

इसी प्रकार वित्तीय बिड जिसका कुल वेटेज 70% था, में मूल्यांकन हेतु निम्न प्रकार विभाजन किया गया था :-

Part A	MSW Door-to-Door collection & Transportation	60% Weightage (Max. 42 points)
Part B	Mechanical Ghat cleaning & toilets cleaning	15% Weightage (Max. 10.5 points)
Part C	Mechanical road sweeping	15% Weightage (Max. 10.5 points)
Part D	Collection of C & D waste	10% Weightage (Max. 7 points)

इस कार्य हेतु जो अनुबंध गठित किया गया उसके अंतर्गत न्यूनतम रु.3 करोड़ प्रति माह का भुगतान किया जाना था एवं यह अनुबंध छः वर्षों के लिए गठित किया गया है। अतः स्पष्ट है इस अनुबंध के अंतर्गत छः वर्षों में न्यूनतम रु.216 करोड़ के कार्य कराये जायेंगे। इतना बड़ा अनुबंध होने के बावजूद इस अनुबंध की निविदा प्रकिया में निम्नलिखित अनियमितताएं/कमियां पाई गयी:-

1. तकनिकी बिड में जो 1000 पॉइंट निर्धारित किये गए थे वह किस समिति द्वारा निर्धारित किये गए थे एवं इन पॉइंट्स के निर्धारण का क्या आधार है, इससे सम्बंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

2. तकनिकी बिड के Operational Details and scoring of technical submissions. के अंतर्गत कुल पॉइंट्स 500 निर्धारित किये गए थे। इसके अंतर्गत विभाजित चार खंडो निम्न प्रकार है:

2 A. Vehicles for MSW and C & D Waste 125 points

2 B. Vehicles for Mechanical Sweeping of roads 100 points

2 C. Operational details - work plan 175 points

2 D. Operational details – proponent's facilities 50 points इन चार खंडो के पॉइंट्स का 450 ही आता है। अतः स्पस्ट है कि इन पॉइंट्स का निर्धारण करते समय सावधानीपूर्वक कार्य नहीं किया गया।

3. तकनिकी बिड के मूल्यांकन के समय इस 50 पॉइंट्स के अन्तर को कैसे समायोजित किया गया इस तथ्य का सत्यापन लेख परीक्षा को नहीं कराया गया।

4. RFP के तकनिकी मूल्यांकन से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अतः तकनिकी बिड का मूल्यांकन सही हुआ है कि नहीं यह लेखा परीक्षा में नहीं सत्यापित किया जा सका।

5. नगर निगम में Collection of C & D waste के लिए वर्ष 2016-17 से ही अनुबंध गठित कर कार्य कराया जा रहा है फिर भी तकनिकी बिड में Collection of C & D waste के लिए वाहनों के सम्बन्ध में पॉइंट्स निर्धारित किये गये थे। जब कि इस कार्य हेतु अनुबंध गठन के समय इस मद को हटा दिया गया।

6. इसी प्रकार वित्तीय बिड में भी Collection of C & D waste के लिए 10% वेटेज दे कर 7 पॉइंट्स का निर्धारण अनावश्यक रूप से किया गया क्योंकि यह मद अनुबंध में शामिल नहीं की गयी।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

7. तकनिकी बिड के मूल्यांकन विवरण के CRITERIA 2 A वाहनों के सम्बन्ध में 125 पॉइंट्स रखे गए है जबकि इसी में उल्लिखित है कि वाहनों की लागत नगर निगम द्वारा वाहन की जाएगी। जब फर्म को वाहन उपलब्ध ही नहीं करना था तब वाहनों की व्यवस्था के लिए अनावश्क रूप से किया गया 125 पॉइंट्स आवंटित किया गाना आधारहीन है।

8. वित्तीय बिड में कार्य के चार खंडो के 60% से 10% तक वेटेज देने का क्या आधार था, इसका कोई आधार लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

इस प्रकार स्पष्ट है कि रु.216 करोड़ से अधिक मूल्य के निविदा प्रणाली में पारदर्शिता पूर्वक कार्य नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में नगर निगम में द्वारा उत्तर में सिर्फ यह बताया गया कि इस कार्य की RFP को शासन स्तर से फाइनल किया गया है।

नगर निगम का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योकि यह तो स्पस्ट है कि इस कार्य की निविदा कमेटी में अध्यक्ष प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग थे, किन्तु समस्त पत्रावलियां नगर निगम स्तर से प्रारम्भ की गयी थी अतः नगर निगम की जिम्मेदारी है कि निविदा प्रणाली के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराएँ एवं निविदा प्रणाली से समस्त आपत्तियों पर अपनी आख्या उपलब्ध कराएँ।

प्रकरण प्रकाश में लाया जा रहा है।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

NSP

भाग-II ब

योगदान- श्री एम पी श्रीवास्तव,
व ले प अधि
AMP-199-200,
203-210
KD:

प्रस्तर-4- अनुबंध की शर्तो एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानो के विपरीत पृथिकिकृत कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट/डंपिंग साईट पर नहीं पहुचना।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रस्तर-15 में स्थानीय निकायों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए स्पस्ट किया है कि सोर्स पर पृथक्किकृत कूड़ा को एकत्र करे साथ ही ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्कीकरण एवं भण्डारण की व्यवस्था करें। इसके साथ डोर-तो-डोर कूड़ा कलेक्शन आदि के सम्बन्ध में वाराणसी वेस्ट सलूशन के साथ गठित अनुबंध में कार्यो का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है:-

2.1 Scope of Work

In pursuance of mutual agreement, the Project scope as following:

Door-To-Door Collection and Transportation of Municipal Solid Waste.

Mechanized Cleaning of toilet.

Mechanized Road Sweeping.

Door-To-Door Collection and Transportation Service

The work to be done shall consist of all requisite service necessary for the operation of door to door collection services for source segregated waste. The segregation should be in three categories i.e. Compostable or Green waste; Recyclables: and Domestic Hazardous waste. It is expected that the proposed approach for the collection of recyclables includes the management of materials I a manner that minimizes the cost to the Authority by establishing an efficient collection that minimizes contamination, maximizes diversion rates/recycling rate as well as revenues to the stakeholders.

अतः उपरोक्त प्राविधानो से स्पस्ट है कि यह कार्यदायी फर्म की जिम्मेदारी थी कि वह सोर्स पर पृथिकिकृत कूड़ा का संग्रहण की व्यवस्था करें एवं यदि सोर्स पर पृथिकिकृत कूड़ा नहीं प्राप्त हो रहा है कार्यदायी फर्म से ग्रीन वेस्ट, रीसाइकिलएबिल एवं खतरनाक वेस्ट को पृथक्कीकरण का कार्य करवाए। लेखा परीक्षा में पाया गया कि नगर निगम या इस कार्य में संलग्न फर्म द्वारा सोर्स से पृथिकिकृत कूड़ा प्राप्त करने हेतु नगर निगम के घरों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पृथिकिकृत कूड़ा को अलग-अलग रखने के लिए अलग-अलग रंगों की डस्टबिन आदि भी उपलब्ध नहीं करायी थी। जिस कारण फर्म द्वारा नगर निगम के घरों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पृथिकिकृत कूड़ा नहीं प्राप्त हो रहा था न ही इस कार्य के अनुबंधित फर्म द्वारा कूड़े को पृथिकिकृत करने का कार्य नही किया जा रहा था।

अतः स्पस्ट है छः वर्षो के लिए गठित अनुबंध की शर्तों एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानो के विपरीत पृथिकिकृत कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट/डंपिंग साईट पर नहीं पहुचाया जा रहा था।

इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा उत्तर में यह स्वीकार किया कि मात्र 30 से 40 प्रतिशत घरो से ही सेग्रीगेटेड वेस्ट प्राप्त हो रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि अन- सेग्रीगेटेड वेस्ट को कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट/डंपिंग साईट पर पहुचाया जा रहा था।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी

अतः अनुबंध की शर्तो एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानो के विपरीत पृथिकिकृत कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट/डंपिंग साईट पर नहीं पहुचाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जा रहा है।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी